न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 31/2020

इंडसइंड बैंक लिमिटेड
पंजिकृत कार्यालय – 2401, जनरल थीम्माया रोड (केनटोनमेंट) पुणे–4110001,महाराष्ट्र
शाखा कार्यालय – रंग विहार, 9/86, कुटचेरी रोड,
एम0जी रोड, अजमेर–305001 (राज0) ....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राईजेज,
पताः– 27/223, तिलक गंज, केसर गंज, अजमेर (राज0)–305001
दुसरा पताः– मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राईजेज, 1228–28, शिव मन्दिर के पास, बिहारी गंज, नसीराबाद रोड, अजमेर–305001 (राज0)।
(2) श्री अनिल गुलाटी,
निवासीः– 216/30, शिवा कॉलोनी, मायो लिंक रोड, अजमेर–305004 (राज0)।
(3) श्री सुनील गुलाटी,
निवासीः– 216/30, शिवा कॉलोनी, मायो लिंक रोड, अजमेर–305004 (राज0)।
(4) श्रीमती गीता गुलाटी,
निवासीः– 216/30, शिवा कॉलोनी, मायो लिंक रोड, अजमेर–305004 (राज0)।
(5) श्री नरेन्द्र नाथ गुलाटी,
निवासीः– 216/30, शिवा कॉलोनी, मायो लिंक रोड, अजमेर–305004 (राज0)।
(6) श्रीमती अमन गुलाटी,
निवासीः– 216/30, शिवा कॉलोनी, मायो लिंक रोड, अजमेर–305004 (राज0)।
(7) श्री मोहिन्द्र सिंह,
निवासीः– 2/32, करतार कोटेज, अलवर गेट, अजमेर–305008 (राज0)।
(8) श्री हरचारण सिंह,
निवासीः– 2/32, करतार कोटेज, अलवर गेट, अजमेर–305008 (राज0)।
(9) श्री जोगिन्द्र सिंह,
निवासीः–2/32,करतार कोटेज, अलवर गेट, अजमेर (राज0)। ......अप्रार्थीगण (ऋणी)

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

उपस्थित :– श्री एस0के0 व्यास अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 09.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राईजेज एवं श्री अनिल गुलाटी, निवासीः– 27/223, तिलक गंज, केसर गंज, अजमेर (राज0)–305001 को दिनांक 06.04.2017 को रू 10,20,00,000/–(अक्षरे दस करोड बीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर 1. बीर चौराहा, ग्राम दान्ता, नसीराबाद रोड, अजमेर के खसरा नं0 92 पर स्थित अचल सम्पत्ति, प्लॉट नं0 38, कुल क्षैत्रफल 1020 वर्गगज है, जो श्री मोहिन्द्र सिंह के नाम

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

से है, 2. बीर चौराहा, ग्राम दान्ता, अजमेर स्थित खसरा नं0 92 पर स्थित अचल सम्पत्ति प्लॉट नं0 39, कुल क्षेत्रफल 900 वर्गगज है, जो श्री हरचारण सिंह के नाम से है, 3. बीर चौराहा, ग्राम दान्ता, अजमेर स्थित खसरा नं0 92 पर स्थित अचल सम्पत्ति प्लॉट नं0 40, कुल क्षेत्रफल 960 वर्गगज है, जो श्री जोगिन्द्र सिंह के नाम से है, 4. ए.एम.सी. नं0 28/255 पुराना 216/30 नया मैयो लिंक रोड अजमेर स्थित अचल सम्पत्ति है, कुल क्षेत्रफल 402 वर्गगज है, जो श्री नरेन्द्र नाथ गुलाटी के नाम से है, 5. बालुपुरा रोड, आदर्श नगर, थोक मालियान, अजमेर के खसरा नं0 7747, पर स्थित अचल सम्पति, कुल क्षेत्रफल 219.72 वर्गगज है, जो श्री सुशील गुलाटी के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 16.09.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 15.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस टर्म लोन ऋण खाते में रूपये 12,72,84,378/-(अक्षरे बारह करोड बहत्तर लाख चौरयासी हजार तीन सौ अठहत्तर रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति 1. बीर चौराहा, ग्राम दान्ता, नसीराबाद रोड, अजमेर के खसरा नं0 92 पर स्थित अचल सम्पत्ति, प्लॉट नं0 38, कुल क्षेत्रफल 1020 वर्गगज है, जो श्री मोहिन्द्र सिंह के नाम से है, 2. बीर चौराहा, ग्राम दान्ता, अजमेर स्थित खसरा नं0 92 पर स्थित अचल सम्पत्ति प्लॉट नं0 39, कुल क्षेत्रफल 900 वर्गगज है, जो श्री हरचारण सिंह के नाम से है, 3. बीर चौराहा, ग्राम दान्ता, अजमेर स्थित खसरा नं0 92 पर स्थित अचल सम्पत्ति प्लॉट नं0 40, कुल क्षेत्रफल 960 वर्गगज है, जो श्री जोगिन्द्र सिंह के नाम से है, 4. ए.एम.सी.

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

D.S.Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

91/1/2020

नं0 28/255 पुराना 216/30 नया मैयो लिंक रोड अजमेर स्थित अचल सम्पत्ति है, कुल क्षेत्रफल 402 वर्गगज है, जो श्री नरेन्द्र नाथ गुलाटी के नाम से है, 5, बालुपुरा रोड, आदर्श नगर, थोक मालियान, अजमेर के खसरा नं0 7747, पर स्थित अचल सम्पति, कुल क्षेत्रफल 219.72 वर्गगज है, जो श्री सुशील गुलाटी के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 09.01.2020 को सुनाया गया।

VMSharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner